

कार्यालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)



आदेश पत्रक

वाद सं- 11-10 / 20-19

धारा-107 द०प्र०सं०

मारवण्ड बसुकाट
थाना प्रभारी

बनाम श्रीम प्रकाश मंगल ठाकुर

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही एवं टिप्पणी तारीख सहित
07-03-19	<p>अभिलेख सं०-एम..... 10 / 20-19, में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी <u>दशम फौज</u> के अप्राथमिकी सं०- 02/19 दिनांक- 27-02-19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>लोक सभा चुनाव में द्वितीय पक्ष के लोगों द्वारा व्यवधान पैदा करने की संभावना है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 25/03/19 को उपरथापित करें। लेखापित एवं संशोधित।</p>	
	<p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>	<p> कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची)।</p>


आदेश की क्रम सं० एवं
तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई
कार्रवाई एवं टिप्पणी
तारीख सहित

04-05-19

क्रमांक 02 अधिवक्ता हाजरी दिनांक
04-05-19 का रखा


25/05/19

अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष के
क्रमांक 06 हाजरी की गई एवं अध-
अधिवक्ता हाजरी दिनांक 17-05-
19 का रखा।


04/05/19

17-05-19

अभिलेख उपस्थापित। दिनांक
पक्ष क्रमांक 01, 02, 03, 04, 05,
अधिवक्ता हाजरी क्रमांक 06 उपस्थित।
दिनांक 25-05-19 का रखा


13/05/19

25-05-19


अभिलेख उपस्थापित। दिनांक
पक्ष क्रमांक 06 उपस्थित अन्य समी
अधिवक्ता हाजरी। लोक समी-उत्तर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख

2019 शान्ति पूर्ण रूप से सम्पन्न हो गया है अतः राह के कर्मियों की कार्रवाई बन्द की जाती है


25/05/19
कार्यपालक पदाधिकारी
दुर्ग (राँची)

8

5.01